


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 19/2026

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पवनकुमार किरी पुत्र रामचन्द्रजी कौम खत्री निवासी जुना किराडू मार्ग बाड़मेर		1. ठाकराराम पुत्र सताराम 2. हीराराम पुत्र सताराम निवासी भूका वगतसिंह पटवार मण्डल भूका वगतसिंह तहसील सिणधरी 3. कोंकदेवी पत्नी अमरारमा जाति मेघवाल निवासी सणपा मानजी 4. डूंगराराम पुत्र पेलादराम जाति सुथार निवासी खरंटिया तहसील 5. बाबुलाल पुत्र सुरताराम जाति सोनी निवासी सिणधरी 6. गोरधनराम पुत्र मानाराम 7. रतनलाल पुत्र मानाराम 8. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र 9. मदनलाल पुत्र रामचन्द्र 10. रिखबचन्द्र पुत्र रामचन्द्र 11. पंकीदेवी पत्नी रामचन्द्र, जाति मोची, निवासी सिणधरी 12. अहमदखां पुत्र अकबरखां 13. आलमखां पुत्र अकबरखां 14. मुसेखां पुत्र अकबरखां 15. मिसरेखां पुत्र अकबरखां 16. रहीमा पत्नी अकबरखां 17. रजाखां पुत्र खमीशखां 18. उमरखां पुत्र खमीशखां 19. आदमखां पुत्र खमीशखां 20. कुरबानखां पुत्र खमीशखां 21. कोजेखां पुत्र खमीशखां


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

22. दली पत्नी खमीरखां
23. मठारखां पुत्र जानू
24. लखमीर पुत्र जानू
25. रिमूखां पुत्र दीनूखां
26. लतीफ पुत्र मुरीदखां जाति
मुसलमान निवासी भूका वगतसिंह
पटवार मण्डल भूका वगतसिंह
तहसील सिणधरी
27. राजस्थान सरकार जरिफ
तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 12.03.2026

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी का खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह राजस्व ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खाता संख्या 99 खसरा संख्या 625, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/33, 625/34 रकबा क्रमशः 0.2427, 0.0728, 0.0971, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.1942, 0.2427, 0.0809, 0.0809 हैक्टेयर कुल रकबा 2.1438 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह राजस्व ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खाता संख्या 99 खसरा संख्या 625, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/33, 625/34 रकबा क्रमशः 0.2427, 0.0728, 0.0971, 0.2265, 0.

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.1942, 0.2427, 0.0809, 0.0809 हैक्टेयर कुल रकबा 2.1438 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।


2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह राजस्व ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खाता संख्या 99 खसरा संख्या 625, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/33, 625/34 रकबा क्रमशः 0.2427, 0.0728, 0.0971, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.1942, 0.2427, 0.0809, 0.0809 हैक्टेयर कुल रकबा 2.1438 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह राजस्व ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खाता संख्या 99 खसरा संख्या 625, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/33, 625/34 रकबा क्रमशः 0.2427, 0.0728, 0.0971, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.1942, 0.2427, 0.0809, 0.0809 हैक्टेयर कुल रकबा 2.1438 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह राजस्व ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खाता संख्या 99 खसरा संख्या 625, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/33, 625/34 रकबा क्रमशः 0.2427, 0.0728, 0.0971, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.1942, 0.2427, 0.0809, 0.0809 हैक्टेयर कुल रकबा 2.1438 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो

न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।


5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल भूका वगतसिंह राजस्व ग्राम भूका वगतसिंह के खेत खाता संख्या 99 खसरा संख्या 625, 625/13, 625/14, 625/15, 625/16, 625/17, 625/18, 625/19, 625/20, 625/21, 625/33, 625/34 रकबा क्रमशः 0.2427, 0.0728, 0.0971, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.2265, 0.1942, 0.2427, 0.0809, 0.0809 हैक्टेयर कुल रकबा 2.1438 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी